



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 873]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 11, 2004/आश्विन 19, 1926

No. 873]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 11, 2004/ASVINA 19, 1926

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2004

का.आ. 1104(अ).— केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 1962 को उन बातों के सिवाय तत्काल प्रभाव से विखंडित करती है जिन्हें ऐसे विखंडन के पूर्व इस आदेश के अधीन किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है।

[फा. सं. 4(2)/2002-पेपर]

एस. जगदीशन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

ORDER

New Delhi, the 11th October, 2004

S.O. 1104(E).— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds the Newsprint Control Order, 1962, with immediate effect, except as respects things done or omitted to be done under the Order before such rescission.

[F. No. 4(2)/2002-Paper]

S. JAGADEESAN, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2004

का.आ. 1105(अ).— केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 है।

(2) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं— इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) “अधिनियम” से उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) अभिप्रेत है;

(ख) “न्यूजप्रिंट का उपभोक्ता” से समाचार पत्रों, नियतकालिक पत्रिकाओं, सामान्य हित की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रक या प्रकाशक अभिप्रेत है जो न्यूजप्रिंट का प्रयोग करता है;

(ग) “प्राधिकृत अधिकारी” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है;

(घ) “न्यूजप्रिंट का व्यवहारी” से उनके न्यूजप्रिंट के वितरण के लिए न्यूजप्रिंट का आयातक और अनुसूची की मद 4 में यथा विनिर्दिष्ट किसी मिल द्वारा नियुक्त अभिकर्ता और उनकी ओर से न्यूजप्रिंट का परिदान लेने के लिए समाचार पत्रों द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ङ) “न्यूजप्रिंट ” से अनुसूची में विनिर्दिष्ट किन्हीं विवरणों का कागज अभिप्रेत है, जो मुद्रण के लिए प्रयोग किया जाता है और इसके अन्तर्गत विषम आकार का न्यूजप्रिंट है चाहे वह अनुसूची की मद 4 में यथा विनिर्दिष्ट किसी मिल द्वारा देश में उत्पादित हो या आयातित हो और उस रूप में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।

(च) “अस्वीकृत न्यूजप्रिंट” से अभिप्रेत है अनुसूची की मद 4 में यथा विनिर्दिष्ट किसी मिल द्वारा उत्पादित कोई न्यूजप्रिंट, जो मुद्रक या प्रकाशक द्वारा इसमें बहुत से जोड़ों या कुचली हुई केन्द्रीय क्रोड या अन्यथा दोषपूर्ण होने के कारण घूर्णी मुद्रण प्रेस द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता;

(छ) “अनुसूची” से इस आदेश की अनुसूची अभिप्रेत है।

3. स्टाकों को अधिग्रहण करने के लिए शक्ति — प्राधिकृत अधिकारी, न्यूजप्रिंट की पूर्ति बनाए रखने या इसके साम्यापूर्ण वितरण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, आदेश द्वारा, न्यूजप्रिंट के उपभोक्ता से भिन्न किसी व्यक्ति से न्यूजप्रिंट का स्टोक रखने की अपेक्षा कर सकेगा।

- (क) स्टाक के संपूर्ण या विनिर्दिष्ट भाग को सरकार को या सरकार के अधिकारी को या ऐसे अन्य व्यक्ति को या व्यक्ति के वर्ग को और ऐसी कीमत पर जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, विक्रय करने की;
- (ख) प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना स्टाक के विक्रय या परिदान न करने की;
- (ग) यदि वह स्टाक का स्वामी नहीं है, स्वामी का नाम प्रकट करने की अपेक्षा कर सकेगा।

4. लेखे और विवरणी — (1) न्यूजप्रिंट का प्रत्येक व्यवहारी और न्यूजप्रिंट का प्रत्येक उपभोक्ता उसके द्वारा अर्जित और व्ययन किए गए न्यूजप्रिंट का सत्य और सही लेखा रखेगा और उसे प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(क) इस आदेश के प्रारंभ से एक मास के भीतर, उसके द्वारा ऐसे प्रारंभ पर रखे गये न्यूजप्रिंट के स्टाक को दर्शित करने वाली विवरणी; और

(ख) तत्पश्चात् 30 जून और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष के अर्ध वर्षों के लिए, उसके द्वारा विवरणी की अवधि के दौरान अर्जित किये गये और निपटाए गए न्यूजप्रिंट के स्टाक दर्शित करने के लिए जिससे कि अर्ध वर्ष की समाप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर प्राधिकृत अधिकारी को भेजा जा सके।

5. सूचना एकत्रित करने की शक्ति — प्राधिकृत अधिकारी, इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से

- (i) धारा 18 छ की उपधारा (2) के खंड (क) से (च) में निर्दिष्ट किन्हीं विषयों को विनियमित करने या प्रातिषिद्ध करने की दृष्टि से सूचना या आंकड़े मंगा सकेगा;
- (ii) न्यूजप्रिंट के अधिग्रहण या व्ययन से संबंधित किसी व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में किसी दस्तावेज, पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख को प्रस्तुत करने का आदेश दे सकेगा।

6. व्यावृत्ति - इस आदेश की कोई बात -

(क) किसी एक संव्यवहार में भार में 200 किलो ग्राम से अनधिक अनुसूची की मद 4 में यथा विनिर्दिष्ट किसी मिल द्वारा विनिर्मित न्यूजप्रिंट का अर्जन या विक्रय;

(ख) अस्वीकृत न्यूजप्रिंट का अर्जन या विक्रय; तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए ऋण के रूप में न्यूजप्रिंट के एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता को न्यूजप्रिंट के स्टाक के किसी भाग का अन्तरण;

परन्तु अंतरिती और अन्तरक उनके अन्तरण की सूचना तीस दिन के भीतर प्राधिकृत अधिकारी को देगा;

(ग) न्यूजप्रिंट के किसी व्यवहारी द्वारा किसी प्रकार के अपशिष्ट न्यूजप्रिंट का विक्रय या न्यूजप्रिंट के किसी उपभोक्ता द्वारा ऐसे न्यूजप्रिंट का विक्रय, अर्जन, उपभोग या उपयोग को लागू नहीं होगा।

7. अन्य विधियों का लागू होना वर्जित न होना -

इस आदेश के उपबंध, न्यूजप्रिंट से संबंधित तत्सयम् प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में।

अनुसूची

1. यांत्रिक लुगदीकरण प्रक्रिया से प्राप्त सफेद मुद्रण कागज (रेखित चिह्नित-कागज को छोड़कर) जिसमें यांत्रिक काष्ठ या खोई लुगदी अन्तर्विष्ट है, अर्थात्

- (क) प्रस्तुर पेषण काष्ठ प्रक्रिया (एस.जी.डब्ल्यू.)
- (ख) दावकृत पेषण काष्ठ प्रक्रिया (पी.जी.डब्ल्यू.)
- (ग) रसायन पेषण काष्ठ प्रक्रिया (सी.जी.डब्ल्यू.)
- (घ) बारीक पेषण काष्ठ प्रक्रिया (एफ.जी.डब्ल्यू.)
- (ङ) परिष्करणकारक यांत्रिक प्रक्रिया (आर.एम.पी.)
- (च) रसायन परिष्करणकारक यांत्रिक लुगदीकरण (सी.आर.एम.पी.)
- (छ) रासायनिक यांत्रिक लुगदीकरण (सी.एम.पी.)
- (ज) अर्ध रासायनिक लुगदीकरण (एस.सी.पी.)
- (झ) ताप यांत्रिक, लुगदीकरण (टी.एम.पी.)
- (ञ) रसायन ताप यांत्रिक लुगदीकरण (सी.टी.एम.पी.)
- (ट) ताप परिष्करणकारक यांत्रिक लुगदीकरण (टी.आर.एम.पी.)
- (ठ) अनुवद्ध ताप-रासायनिक लुगदीकरण (टेन्डम टी.एम.पी.)
- (ड) अर्ध-रासायनिक यांत्रिक लुगदीकरण (एस.सी.एम.पी.)
- (ढ) शीत सोडा परिष्करणकारक यांत्रिक लुगदीकरण (सी.एस.आर.एम.पी.)

न्यूजप्रीट कागज के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय मानक अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

2. न्यूजप्रीट कागज के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय मानक अपेक्षाओं के अनुरूप दी गई कच्ची सामग्री में से विनिर्मित सफेद मुद्रण कागज (रेखित चिह्नित कागज को छोड़कर) जिसमें विमसीय पुनः चक्रित अपशिष्ट कागज अन्तर्विष्ट है।

3. कांचित न्यूजप्रीट

4. निम्नलिखित के द्वारा विनिर्मित देशी न्यूजप्रीट

क्रम संख्या	मिल का नाम और अवस्थिति
1.	नेपा लिमिटेड, नेपानगर, मध्यप्रदेश
2.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रीट लिमिटेड, कोट्टायम्, केरल
3.	मैसूर पेपर मिल्स, भद्रावती, कर्नाटक
4.	तमिलनाडु न्यूजप्रीट और पेपर्स लिमिटेड, करूर, तमिलनाडु
5.	रायलसीमा पेपर मिल्स लिमिटेड, कुरनूल, आंध्र प्रदेश
6.	नौगांव पेपर मिल्स (एचपीसी), मोरीगांव, असम
7.	कछार पेपर मिल्स (एचपीसी), हैलाकाण्डी, असम
8.	औरंगाबाद पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र
9.	सन पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, तिरुनेवेली, तमिलनाडु

10.	जयंत पेपर मिल्स लिमिटेड, सूरत, गुजरात
11.	सर्वलक्ष्मी पेपर एण्ड बोर्ड्स, डिंडीगुल अन्ना, तमिलनाडु
12.	धनलक्ष्मी पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, डिंडीगुल अन्ना, तमिलनाडु
13.	अजंता पेपर एण्ड जनरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र
14.	अमृत पेपर, होशियारपुर, पंजाब
15.	वैकटेश पेपर एण्ड बोर्ड्स लिमिटेड, डिंडीगुल अन्ना, तमिलनाडु
16.	इंडो अफ्रीका पेपर मिल्स लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
17.	जी.वी.जी. पेपर मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, डिंडीगुल अन्ना, तमिलनाडु
18.	राम पेपर मिल्स लिमिटेड, बिजनौर, उत्तर प्रदेश
19.	शिरके पेपर मिल्स लिमिटेड (ब्राउन पेपर टेक्नोलॉजी), सतारा, महाराष्ट्र
20.	दी यूनाइटेड पल्प एण्ड पेपर लिमिटेड, होशियारपुर, पंजाब
21.	गुलमोहर पेपर लिमिटेड, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल
22.	अमरावती श्री वैकटेश पेपर मिल्स लिमिटेड, डिंडीगुल अन्ना, तमिलनाडु
23.	लक्ष्मी बोर्ड एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, कल्याण, महाराष्ट्र
24.	सिम्पलेक्स मिल्स कम्पनी लिमिटेड, भण्डारा, महाराष्ट्र
25.	पदमजी पल्प एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
26.	गौरव पेपर मिल्स, चंद्रपुर, महाराष्ट्र
27.	श्री इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात
28.	रामा न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, बलसाड, गुजरात
29.	श्री राजेश्वरानन्द पेपर्स लिमिटेड, झुगाडिया, गुजरात
30.	रूबी मेकन्स लिमिटेड, बलसाड, गुजरात
31.	श्री हरि कृष्ण पेपर प्राइवेट लिमिटेड, डिंडीगुल अन्ना, तमिलनाडु
32.	कामाक्षी पेपर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, मुरादाबाद, यू.पी.
33.	प्रताप पेपर मिल्स लिमिटेड, गुरदासपुर, पंजाब
34.	बी.वी.वी. पेपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोयम्बटूर, तमिलनाडु
35.	मध्य प्रदेश पल्प एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र
36.	रावल पेपर्स लिमिटेड, राय बरेली यू.पी.
37.	एलोरा पेपर मिल्स लिमिटेड, भण्डारा, महाराष्ट्र
38.	शाह पल्प एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, वापी, गुजरात
39.	कासट पेपर एण्ड पल्प लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
40.	संगल पेपर्स लिमिटेड, मेरठ, यू.पी.
41.	एपेक्स पेपर मिल्स, नागपुर, महाराष्ट्र
42.	इमामी पेपर मिल्स लिमिटेड, बालासोर, उड़ीसा
43.	दमन गंगा पेपर्स लिमिटेड, बलसाड, गुजरात
44.	अनुराग बोर्ड एण्ड पेपर मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, मुजफ्फर नगर, उत्तर प्रदेश
45.	एन.आर.अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (यूनिट -II), बलसाड, गुजरात
46.	वी.जी. पेपर एण्ड बोर्ड्स लिमिटेड, कोयम्बटूर, तमिलनाडु
47.	श्री स्टार पेपर्स मिल्स लिमिटेड, दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी.
48.	चांदपुर एन्टर प्राइजेज लिमिटेड, चांदपुर, जिला बिजनौर, यू.पी.
49.	कोस्टल पेपर्स लिमिटेड, कोडियम मंडल, ईस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश
50.	विष्णुप्रिया पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, पोन्नेरी, पेराम्बलूर, थिरुवल्लूर, तमिलनाडु
51.	दि साउथ इंडियन पेपर मिल्स लिमिटेड, नंगनगुड जिला, मैसूर, कर्नाटक
52.	दि प्रगति पेपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नाहन, जिला सिरमौर, एच.पी.
53.	नधिकेता पेपर्स लिमिटेड, मुबारकपुर, जिला पटियाला, पंजाब

54.	नेल्सन पेपर मिल लिमिटेड, सोलागमपट्टी, जिला तंजौर, तमिलनाडु
55.	सिक्का पेपर मिल्स लिमिटेड, शामली, जिला मुजफ्फरनगर, यू.पी.
56.	प्रगति पेपर मिल्स लिमिटेड, इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यू.पी.
57.	कल्पतरु पेपर लिमिटेड, करोली करोल, मेहसाणा, गुजरात
58.	कोरल न्यूजप्रिन्ट लिमिटेड, गजरौला, यू.पी.
59.	शिवा पेपर मिल्स लिमिटेड, मिलक रामपुर, यू.पी.
60.	कायगांव पेपर मिल्स लिमिटेड, गंगापुर, औरंगाबाद महाराष्ट्र
61.	खटीमा फाइबर्स लिमिटेड, खटीमा, नैनीताल
62.	वी.जी. पेपर एण्ड बोर्ड लिमिटेड, स्वामीनाथपुरम, पलानी डिंडीगुल तमिलनाडु
63.	अजंता पेपर एण्ड जनरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, झागठिया, भरुच, गुजरात
64.	मालू पेपर मिल्स, दि साबनेर, जिला नागपुर, महाराष्ट्र
65.	मुरली एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जिला नागपुर, महाराष्ट्र
66.	श्री रामादास पेपर बोर्ड्स लिमिटेड, कापीयम मण्डल, ईस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश
67.	श्री रामचंद्रा पेपर बोर्ड्स लिमिटेड, आंध्र प्रदेश
68.	रोलेक्स पेपर मिल्स लिमिटेड, चितापरु विलेज, पालाकोल मंडल, वेस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश
69.	कॉसबोर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जगतपुर इंडस्ट्रीयल एस्टेट, कटक, उड़ीसा
70.	शाकुम्भरी स्ट्रा प्रोडक्ट्स लिमिटेड (यूनिट 03), मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

5. केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में मिल उत्पादित न्यूजप्रिंट के रूप में अधिसूचित किन्हीं अन्य मिलों द्वारा विनिर्मित न्यूजप्रिंट।

[फा. सं. 4(2)/2002-पेपर]

एस. जगदीशन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 11th October, 2004

S.O. 1105(E).— In exercise of the powers conferred by section 18 G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following order, namely:-

1. **Short title and commencement.** (1) This order may be called the Newsprint Control Order, 2004.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.** In this order, unless the context otherwise requires,—
 - (a) “Act” means the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951);
 - (b) “consumer of newsprint” means a printer or publisher of newspapers, periodicals, text-books of general interest who uses newsprint;
 - (c) “authorised officer” means any person authorised by the Central Government to exercise the powers under section 19 of the Act;
 - (d) “dealer in newsprint” means an importer of newsprint and an agent appointed by any mill as specified in item 4 of Schedule for distribution of their newsprint and a person authorised by the newspapers for taking deliveries of newsprint on their behalf.
 - (e) “newsprint” means paper of any of the descriptions specified in the Schedule, which is used for printing and shall include odd size newsprint whether produced indigenously by any mill as specified in item 4 of the Schedule or imported and certified to be as such by the authorised officer.

- (f) "reject newsprint" means any newsprint produced by any mill as specified in item 4 of the Schedule which cannot be used by a printer or publisher on a rotary printing press on account of numerous joints or crushed central core in it or otherwise defective;
- (g) "Schedule" means the Schedule to this order.
3. Power to requisition stocks. The authorised officer may, with a view to maintaining supplies of newsprint or securing its equitable distribution, by order, require any person other than a consumer of newsprint holding stock of newsprint
- (a) to sell the whole or a specified part of the stock to the Government or to an officer of the Government or to such other person or class of person and at such price as may be specified in the order;
 - (b) not to sell or deliver the stock without the permission in writing of the authorised officer;
 - (c) if he is not the owner of the stock, to disclose the name of the owner.
4. Accounts and returns. (1) Every dealer in newsprint and every consumer of newsprint shall maintain a true and a correct account of newsprint acquired and disposed of by him and shall submit to the authorised officer
- (a) within one month from the commencement of this order, a return showing the stock of newsprint held by him at such commencement; and
 - (b) thereafter, for the half years ending the 30th June and the 31st December, of each year so as to reach the authorised officer within fifteen days of the close of the half year, showing the stock of newsprint acquired and disposed of by him during the period covered by the return.

5. Power to collect information. The authorised officer may, with a view to securing compliance with this order

- (i) call for information or statistics with a view to regulating or prohibiting any of the matters referred in clauses (a) to (f) of sub-section (2) of section 18 G;
- (ii) order the production of any document, book, register or record in the possession and control of any person relating to the acquisition or disposal of newsprint.

6. Saving. Nothing in this order shall apply to:-

- (a) the acquisition or sale of newsprint manufactured by any mill as specified in item 4 of the Schedule not exceeding 200 kilograms in weight in any one transaction;
- (b) the acquisition or sale of reject newsprint; any transfer of stock of newsprint by one consumer of newsprint to another by way of loan for a period not exceeding three months:

Provided that the transferee and the transferer give to the authorised officer intimation of the transfer within thirty days thereof;

- (c) sale of any kind of waste newsprint by any dealer in newsprint or the sale, acquisition, consumption or use of such newsprint by any consumer of newsprint.

7. Application of other laws not barred. The provisions of this order shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force relating to newsprint.

Schedule

1. White Printing Paper (excluding laid marked-paper) containing mechanical wood or bagasse pulp obtained by the mechanical pulping processes, that is to say –

- (a) Stone Ground wood Process (SGW);
- (b) Pressurised Ground Wood Process (PGW);
- (c) Chemi Ground Wood Process (CGW);
- (d) Fine Ground Wood Process (FGW);

3060 GI104-3

- (e) Refiner Mechanical Pulping (RMP);
- (f) Chemi Refiner Mechanical Pulping (CRMP);
- (g) Chemical Mechanical Pulping (CMP);
- (h) Semi Chemical Pulping (SCP);
- (i) Thermo Mechanical Pulping (TMP);
- (j) Chemi Thermo Mechanical Pulping (CTMP);
- (k) Thermal Refiner Mechanical Pulping (TRMP);
- (l) Tandem Thermo-Mechanical Pulping (TANDEM TMP);
- (m) Semi-Chemical Mechanical Pulping (SCMP); and
- (n) Cold Soda Refiner Mechanical Pulping (CSRMP);

Conforming to Indian Standard requirements for newsprint paper specified by Bureau of Indian Standards.

2. White Printing Paper (excluding laid marked-paper) manufactured out of raw material furnish containing deinked recycled waste paper conforming to Indian Standard requirements for newsprint paper specified by the Bureau of Indian Standards.

3. Glazed newsprint

4. Indigenous newsprint manufactured by the following:-

S.No.	Name of the Mill and Location
1.	NEPA Limited Nepa Nagar, Madhya Pradesh
2.	Hindustan Newsprint Limited Kottayam, Kerala
3.	Mysore Paper Mills Bhadravati, Karnataka
4.	Tamil Nadu News Print & Papers Limited Karur, Tamil Nadu
5.	Rayalseema Paper Mills Ltd. Kurnool, Andhra Pradesh
6.	Nagaon Paper Mills (HPC) Morigaon, Assam
7.	Cachar Paper Mills (HPC) Hailakandi, Assam
8.	Aurangabad Paper Mills Pvt. Ltd. Aurangabad, Maharashtra

9.	Sun Paper Mills Ltd. Tiruneveli, Tamil Nadu
10.	Jayant Paper Mills Ltd. Surat, Gujarat
11.	Servalakashmi Paper & Boards Dindigul Anna, Tamil Nadu.
12.	Danalakashmi Paper Mills Pvt. Ltd. Dindigul Anna, Tamil Nadu.
13.	Ajanta Paper & General Products Ltd. Thane, Maharashtra
14.	Amrit Paper Hoshiarpur, Punjab
15.	Sri Venkatesa Paper & Boards Ltd. Dindigul Anna, Tamil Nadu
16.	Indo Afrique Paper Mills Ltd. Pune, Maharashtra
17.	GVG Paper Mills (P) Ltd. Dindigul Anna, Tamil Nadu.
18.	Ram Paper Mills Ltd. Bijnor, Uttar Pradesh
19.	Shirke Paper Mills Ltd. (Brown Paper Technologies) Satara, Maharashtra
20.	The United Pulp & Paper Ltd. Hoshiarpur, Punjab
21.	Gulmohar Paper Ltd. Calcutta, West Bengal
22.	Amravathi Sri Venkatesa Paper Mills Ltd. Dindigul Anna, Tamil Nadu.
23.	Laxmi Board & Paper Mills Ltd. Kalyan, Maharashtra
24.	Simplex Mills Co. Ltd. Bhandara, Maharashtra
25.	Pudumjee Pulp & Paper Mills Ltd. Pune, Maharashtra
26.	Gaurav Paper Mills Chandrapur, Maharashtra
27.	Shree Industries Ltd. Ahmedabad, Gujarat
28.	Rama Newsprint & Papers Ltd. Valsad, Gujarat
29.	Shree Rajeshwaranand Paper Mills Ltd. Jhugadia, Gujarat
30.	Ruby Macons Ltd. Valsad, Gujarat

31.	Shri Hari Krishna Papers Pvt, Ltd. Dindigul Anna, Tamil Nadu
32.	Kamakshi Papers (P) Ltd. Moradabad, U.P.
33.	Pratap Paper Mills Ltd. Gurdaspur, Punjab
34.	B.V.V. Paper Industries Ltd. Coimbatore, T.N.
35.	Madhya Desh Pulp & Paper Mills. Nagpur, Maharashtra
36.	Rawal Papers Ltd. Rai Bareilly, U.P.
37.	Ellora Paper Mills Ltd. Bhandara, Maharashtra
38.	Shah Pulp & Paper Mills Ltd. Vapi, Gujarat
39.	Kasat Paper & Pulp Ltd. Pune, Maharashtra
40.	Sangal Papers Ltd. Meerut, U.P.
41.	Apex Paper Mills Nagpur, Maharashtra
42.	Emami Paper Mills Ltd.. Balasore, Orissa
43.	Daman Ganga Papers Ltd. Valsad, Gujarat
44.	Anurag Board & Paper Mills (P) Ltd., Muzzafarnagar, Uttar Pradesh.
45.	N.R. Aggarwal Industries Ltd., (Unit. II) Valsad, Gujarat
46.	V.G. Paper & Boards Ltd. Coimbatore, Tamil Nadu.
47.	Three Star Paper Mills Ltd. Dadri, Distt Gautam Budh Nagar, U.P.
48.	Chandpur Enterprises Ltd. Chandpur Distt. Bijnore, U.P.
49.	Coastal Papers Ltd. Kodiam Mandal, East Godavari, Andhra Pradesh.
50.	Vishnupriya Paper Mill Private Limited. Ponneri, Perambalur, Thiruvallur, Tamil Nadu.
51.	The South India Paper Mills Ltd. Nangangud Distt., Mysore, Karnataka.
52.	The Pragati Paper Industries Ltd. Nahan, Distt. Sirmaur, H.P.
53.	Nachiketa Papers Ltd. Mubarakpur, Distt. Patiala, Punjab.

54.	Nelsun Paper Mill Ltd. Solagampatty, Distt. Tanjore, Tamil Nadu.
55.	Sikka Paper Mills Shamli, Distt Muzaffarnagar, UP
56.	Pragati Paper Mills Ltd. Industrial Area, Sahibabad, Gaziabad (U.P.)
57.	Kalpataru Paper Ltd. Karoli Kalol, Mehsana, Gujarat
58.	Coral Newsprint Ltd Gajraula Hasanpur, UP.
59.	Shiva Paper Mills Ltd Milak Rampur, UP
60.	Kaygaon Paper Mills Ltd. Gangapur, Aurangabad Maharashtra.
61.	Khatema Fibres Ltd Khatema, Nainital
62.	V.G. Paper & Board Ltd Swaminathapuram, Palani, Dindigul TN
63.	Ajanta paper and General products Ltd Jhagadia, Bharuch, Gujarat
64.	Malu Paper Mills The. Savner, Distt. Nagpur, Maharashtra.
65.	Murli Agro Products Ltd. Distt. Nagpur, Maharashtra.
66.	Sri Ramadas Paper Boards Ltd., Andhra Pradesh
67.	Sri Ramachandra paper Boards Limited, Andhra Pradesh
68.	Rolex paper Mills Ltd., Andhra Pradesh
69.	Cosboard Industries Ltd., Orissa
70.	Shakumbhri Straw Products Ltd., U.P.

5. Newsprint manufactured by any other mills notified by the Central Government in the Official Gazette as Mill producing newsprint

[F. No. 4(2)/2002-Paper]
S. JAGADEESAN, Jt. Secy.

2060 41/04